फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री मधु सिंह सोलंकी निवासी मारूवास ग्राम पंचायत नउवा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 74 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित ऑनलाईन प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– सू0अ0 / 2025 / 783 दिनांक 27.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के आवेदन पर चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को जरिये इस कार्यालय के पत्रांक 33 दिनांक 10.06.2025 से तहसीलदार राजसमन्द को पत्र प्रेषित किया जाकर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया एवं तहसीलदार राजसमन्द द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये पत्र क्रमांक 414–415 दिनांक 13.06.2025 भेजकर अवगत कराया गया कि उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थी श्री माधु पिता मोडसिंह सोलंकी निवासी मारूवास तहसील घासा जिला उदयपुर को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध तहसील कार्यालय राजसमन्द से होने के कारण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 33 दिनांक 10.06.2025 से तहसीलदार राजसमन्द को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 414–415 दिनांक 13.06.2025 से अपीलार्थी को सूचना हेतु नियमानुसार शुल्क 36 /– रूपये जमा करवाकर वांछित शुल्क प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।	

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना बाबत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 414—415 दिनांक 13.06.2025 से अपीलार्थी को सूचना हेतु नियमानुसार शुल्क 36/— रूपये जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार शुल्क जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद